दिल्ली विकास प्राधिकरण
(चिकित्सा प्रकोष्ठ)

दिनांकः 11.07.2014

***परिपत्र सं.* 8**

वित्त सदस्य/ डीडीए के कक्ष में प्रस्तुति देते समय डीडीए की चिकित्सा योजना की समीक्षा करते हुए यह पाया गया था कि यद्यपि पैनल के बाहर वाले अस्पतालों से इलाज लेते समय अधिकांश मामलों में कर्मचारी/ पेंशनर अस्पताल से आपातकालीन प्रमाण पत्र दर्ज करवा लेते हैं। तथापि, यह निर्णय लिया गया था कि पैनल के बाहर वाले अस्पतालों से अंत: रोगी विभाग में इलाज कराने वाले सभी कर्मचारियों/ पेंशनरों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए। सभी कर्मचारी/ पेंशनर कृपया नोट करें कि डिस्चार्ज रिपोर्ट प्राप्त करते समय अस्पताल से आपातकालीन स्थिति के उल्लेख के साथ संक्षिप्त इति वृत्त भी प्रमाणित करवा लें।

इसे वित्त सदस्य की अनुमति से जारी किया जाता है।

(मनीष कुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी

सं.: एफ.1(25)/2006/ निदे. (एन)/ जीजे/ डीडीए/ पार्ट.III/ 60 दिनांकः 11.7.2014

अग्रेषित करने के लिए प्रतिलिपिः

1. **कुलपति डीडीए के ओएसडी**
2. **वित्त सदस्य, डीडीए के ओएसडी**
3. **ईएम, डीडीए के निजी सचिव**
4. **सभी प्रधान आयुक्त**
5. **मुख्य सतर्कता अधिकारी**
6. **सीएओ, डीडीए के निजी सचिव**
7. **मुख्य विधिक सलाहकार/ मुख्य वास्तुकार**
8. **आयुक्त सह-सचिव;**

9. सभी आयुक्त;
10. सभी मुख्य अभियंता;
11. वित्तीय सलाहकार (बागवानी)/ निदेशक (एलसी)/निदेशक (आईए)/ निदेशक (वित्त)/ निदेशक (एमएम)/ निदेशक (पी)/ निदेशक (निर्माण)/ निदेशक (डब्ल्यू/सी)/ निदेशक (बागवानी) एसई एवं एनडब्ल्यू;
12. सभी उप मुख्य लेखाधिकारी (मुख्यालय), जोन, सतर्कता, एलसी/ उप वित्तीय सलाहकार (एच)-I एवं II
13. वरिष्ठ लेखाधिकारी (कंटीजेंसी)/ पीएओ (ईडब्ल्यू)/ वरिष्ठ लेखाधिकारी (पीई), लेखाधिकारी (एम)-I, II, एनएमएस, एडी (एम)
14. गार्ड फाइल
15. सूचना पट्ट
16. निदेशक (सिस्टम) को इस कार्यालय ज्ञापन को डीडीए की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

लेखाधिकारी (एम)-I